भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 801
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

## सेवानिवृत्ति के पश्चात् न्यायाधीशों को पद

**801. श्री अभिषेक बनर्जी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश भर में न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् कुल कितने पदों की पेशकश की गई ;

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद के इन पदों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और किन-किन संस्थाओं अथवा निकायों में इनकी नियुक्ति की गई थी ;

(ग) सेवानिवृत्ति के बाद इन पदों पर न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए क्या मानदंड और प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(घ) सेवानिवृत्ति के बाद के पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (घ) :** विभिन्न स्तरों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या किसी अन्य इकाई द्वारा नियुक्त/विनियोजित किया जा सकता है । जो ऐसी नियुक्तियों/ विनियोजनों को शासित करने वाले विद्यमान ढांचे पर निर्भर करता है । इस प्रकार ऐसी नियुक्तियां एक विकेन्द्रीकृत रीति में होती हैं और इसलिए मांगी गई जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं ।

*******